

**FORM - III**

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
सुखदेव कौर बनाम गुरमीत कौर आदि

अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 91 आरटीए नम्बर 194 सन् 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/341

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तामिल हुकम		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09.10.2024	<p>वादी सुखदेव कौर पत्नी बलजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 17 जैड तहसील श्रीगंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह, श्री भगवान दास ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 91 आरटीए पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 06.11.2024 को पेश हो।</p> <p><i>उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर</i></p>	<p>सम्मन जारी 412 9/10/24</p>
28/10/24	<p>आज यह पत्रावली अप्राप्ति प्रतिवादी से. 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री राजेश शरण के द्वारा बकालतपत्रा पेश करने पर पेशी में ली गई। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 29/10/24 को पेश हो।</p>	
29/10/24	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा माथिना पत्र पेश किया। माथिना पत्र में वादिया द्वारा अज किया कि उक्त अनवान स्मकरण में हप्त पदाकारान का सम्झौता ले चुका है। इसलिए उक्त अनवान स्मकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं।</p> <p>वादी व वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा वादिया द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92A, 91 RTA नोटप्रेस करने पर स्मकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली गिनीत होकर नम्बर से फर्द लेकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p>NOT PRESSED</p> <p>सुखदेव कौर</p> <p>Identified by</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>29/10/24</p> <p>उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर</p>

